भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3956

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

3956. श्री अरुण नेहरू:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पेरम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्वीकृत प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेरम्बलूर जिले में निवास करने वाले लाभार्थी छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे वितरित किया गया कुल वित्तीय परिव्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार को पेरम्बलूर के छात्रों को बाधा पहुंचाने वाले छात्रवृत्ति वितरण में अत्यधिक देरी या पोर्टल सत्यापन संबंधी मुद्दों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पेरम्बलूर में पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत अपनाए गए सत्यापन तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का पेरम्बलूर में छात्रवृत्ति आवेदकों के लिए आधार प्रमाणीकरण और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख): पेरम्बलूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है तथा पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है, क्योंकि ये योजनाएं वर्ष 2021-22 के बाद से संचालित नहीं की गई है।

(ग): राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति आवेदनों, सत्यापन तथा छात्रवृत्ति निधि के वितरण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। पेरम्बलूर क्षेत्र के संबंध में विलंब अथवा पोर्टल सत्यापन से संबंधित कोई विशिष्ट मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

(घ): राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को अनुमोदन देने तथा लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से पूर्व, उन पर बहु-स्तरीय सत्यापन प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाती है, जिसमें आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण, संस्थान स्तर पर सत्यापन, जिला/राज्य स्तर पर सत्यापन तथा प्रणाली-आधारित वैधीकरण शामिल है। पोर्टल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध प्रदायगी के लिए दोहराव-रोधी एवं वैधीकरण संबंधी जांच व्यवस्थाएं भी समाविष्ट हैं।

(ङ): मंत्रालय, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ समन्वय में छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करता है तथा उसे अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। पारदर्शिता, जवाबदेही तथा लाभार्थियों के यथोचित सत्यापन को सुनिश्चित करते हुए आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सत्यापन एवं आवेदन कार्रवाई प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते हैं।
